



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10072024-255309  
CG-DL-E-10072024-255309

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2545]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 10, 2024/आषाढ 19, 1946

No. 2545]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 10, 2024/ASHADHA 19, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2024

का.आ. 2680(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) और (3) के खंड (v) और खंड (xiv), उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित, का.आ.सं. 1813(अ), तारीख 7 जून, 2017 के द्वारा प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में-

(क) पैरा 5 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा को रखा जाएगा: अर्थात्:-

“5. निगरानी समिति.- केन्द्रीय सरकार इस अधिसूचना के कार्यान्वयन के लिए नीचे दी गई सारणी में निर्दिष्ट निम्नलिखित व्यक्तियों की एक समिति का गठन करती है, अर्थात्: -

(1) उपायुक्त, शिमला

अध्यक्ष, पदेन;

- (2) पर्यावरण या वन्यजीव (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में काम करने वाले एक गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि, जिसे हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा हर तीन साल में समय-समय पर नामित किया जाता है। सदस्य;
- (3) हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा हर तीन साल में समय-समय पर नामित एक प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी और पर्यावरण में एक विशेषज्ञ सदस्य;
- (4) सदस्य, हिमाचल प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड सदस्य, पदेन;
- (5) कार्यकारी अभियंता, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सदस्य, पदेन;
- (6) क्षेत्र के वरिष्ठ नगर नियोजक सदस्य, पदेन;
- (7) उप वन संरक्षक (वन्यजीव), शिमला सदस्य, पदेन;
- (8) प्रभागीय वन अधिकारी (प्रादेशिक), कुनिहार पदेन, सदस्य सचिव;

(ख) पैरा 6 के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:-

“6. निगरानी समिति के कार्य. – (1) निगरानी समिति, वास्तविक स्थल-विशिष्ट स्थितियों के आधार पर उन क्रियाकलापों की छानबीन करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1553 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006, और पर्यावरण, वन मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट उसके पैरा 4 के अधीन सारणी में निर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं और यथास्थिति, जलवायु परिवर्तन या राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के लिए होंगे।

(2) उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में शामिल नहीं की गई परियोजनाएं और क्रियाकलापों और उसके पैरा 4 के अधीन सारणी में निर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, निगरानी समिति द्वारा वास्तविक साइट-विशिष्ट की स्थितियों के आधार पर जांच की जाएगी और संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट की जाएगी।

(3) निगरानी समिति के सदस्य-सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित उप वन संरक्षक पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होंगे।

(4) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, उद्योग संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित हितधारकों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए जारी करने के आधार पर अपेक्षा के आधार पर आमंत्रित कर सकती है।

(5) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्यवाही रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक इस अधिसूचना को राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक को उपाबंध-III में विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा के अनुसार प्रस्तुत करेगी।

(6) केन्द्रीय सरकार अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए निगरानी समिति को लिखित रूप में ऐसे निर्देश दे सकती है, जैसा वह उचित समझे।

[फा0सं0 25/125/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 1813(अ), तारीख 7 जून, 2017 के द्वारा प्रकाशित की गई थी;

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

## NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2024

**S.O. 2680(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 1813(E), dated the 07<sup>th</sup> June, 2017, namely:-

In the said notification, —

(a) for paragraph 5, the following paragraph shall be substituted, namely: -

“5. **Monitoring Committee.** — The Central Government constitutes a Committee to be known as Monitoring Committee which shall comprise of the following persons namely:

- |                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| (1) Deputy Commissioner, Shimla                                                                                                                                                                                                       | Chairman, <i>ex officio</i> ;         |
| (2) One representative of a Non-Governmental Organisation working in the field of Environment or Wildlife (including heritage conservation) nominated by the State Government of Himachal Pradesh from time to time every three years | Member;                               |
| (3) One expert in ecology and environment from a reputed Institution or University nominated by the State Government of Himachal Pradesh from time to time every three years                                                          | Member;                               |
| (4) Member, Himachal Pradesh State Biodiversity Board                                                                                                                                                                                 | Member, <i>ex officio</i> ;           |
| (5) Executive Engineer, Himachal Pradesh State Pollution Control Board                                                                                                                                                                | Member, <i>ex officio</i> ;           |
| (6) Senior Town Planner of the area                                                                                                                                                                                                   | Member, <i>ex officio</i> ;           |
| (7) Deputy Conservator of Forest (Wildlife), Shimla                                                                                                                                                                                   | Member, <i>ex officio</i> ;           |
| (8) Divisional Forest Officer (Territorial), Kunihar                                                                                                                                                                                  | Member Secretary, <i>ex officio</i> ; |

(b) for paragraph 6, - the following paragraph shall be substituted, namely: —

“6. **Functions of the Monitoring Committee.** — (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise, the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

- (2) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (1) and are falling in the Eco-Sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (4) The Monitoring Committee may invite a representative or expert from the Department, a representative from the industry associations or stakeholders to assist the committee in its deliberations depending on the requirements on a case to case basis.

- (5) The Monitoring Committee shall submit the action taken report of its activities annually for the period up to the 31<sup>st</sup> March of every year to the Chief Wildlife Warden of the State by the 30<sup>th</sup> June of that year in proforma specified in Annexure-III.
- (6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.”

[F. No. 25/125/2015-ESZ-RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist “G”

**Note:** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 1813(E), dated the 07<sup>th</sup> June, 2017.